देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ......180....../भू अ०

दिनांक : 01/02/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–बेलडीह, थाना–पालोजोरी, थाना सं०–341, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **बाराटांड़ मोड़–रांगामटिया–पालोजोरी (एस०एच०–15 पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–बेलडीह, थाना–पालोजोरी थाना सं०–341, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.35** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क्र. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	रैयती	बाड़ी–1	0.04	लक्ष्मण मंडल पे० चंचल मंडल वो असर्फी मंडल पे० स्व० अमीर मंडल। अंश समान सा० देह।	सड़क	अर्जित खेसरा का शेष अंश	मौजा अम्बा, 342	मौजा नवाडीह, 333
2	1	60	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
3	1	5	रैयती	बाड़ी–1	0.04	धीरेन मंडल पे० स्व० भागवत मंडल वो कलाचन्द मंडल वो सहदेव मंडल वो केटकी मंडल वो जगरनाथ मंडल वो दोनोलाल मंडल वो सीताराम मंडल पे० स्व० हरि मण्डल वो पटवारी मंडल वो बलदेव मंडल पे० असर्फी मंडल (ज०रै०) सा० देह।				
4	1	7	रैयती	मकान में सहन	0.02	तथैव।				
5	1	61	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
6	1	8	रैयती	मकान में सहन	0.04	विपुल कुमार मंडल पे० खीदुनाथ मंडल वो भीम मंडल पे० स्व० जनार्दन मंडल वो जयदेव मंडल वो बासुदेव मंडल पे० स्व० लालदेव मंडल वो अरविन्द मंडल वो विनोद मंडल पे० स्व० केवो मंडल वो प्रकाश मंडल पे० स्व० लोबिनमंडल वो रामेश्वर मंडल पे० स्व० जतन मंडल वो विमला देवी वो वेनामी देवी पे० स्व० रतन मंडल। सा० देह।				
7	1	59	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
8	4	9	रैयती	मकान में सहन	0.02	गंगाधर मंडल वो राजू मंडल पे० नुनेश्वर मंडल वो राजकिशोर मंडल वो अर्जून मंडल पे० स्व० सुकदेव मंडल वो लक्ष्मण मंडल पे० जयलाल मंडल वो विपनी मंडल पे० विशु मंडल (ज०रै०)				
9	9	10	रैयती	मकान में सहन	0.02	चम्पा देवी पति स्व० प्रमोद मंडल वो सिकन्दर मंडल पे० स्व० धनंजय मंडल वो जीवन मंउल पे० रामू मंडल वो दीनानाथ मंडल वो बैजनाथ मंडल पे० स्व० खाजो मंडल। सा० देह।				

1

10	9	57	रैयती	बाड़ी–1	0.07	तथैव।				
11	10/क	362	रैयती	मकान में सहन	0.02	लखन साह पे० बद्री साह वो गणेश साह वो रामसेवक साह पे० स्व० रामलाल साह वो मनोहर साह वो मोहन साह वो नरेश साह वो रमेश साह पे० स्व० जियासंत साह वो दीपक साह वो जीतेन्द्र साह पे० उमाशंकर साह वो गंगासाह पे० स्व० रामयाद साह वो रामनाथ साह वो राजेन्द्र साह पे० रघुवीर साह वो जय किशोर साह पे० स्व० रघुनन्दन साह वो रामशंकर साह, वो बलि साह वो रामबाबु साह पे० स्व० शिवनन्दन साह वो रघुवीर साह बल्द रामेश्वर साह (ज०रै०)। सा० देह।				
12	10/क	56	रैयती	मकान में सहन	0.01	तथैव।				
				कुल रकवा–	**0.35**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 180 / भू अ०, देवघर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।